

-: आदेश :-

राजस्व मण्डल के समर्संख्यक आदेश क्रमांक 1380 दिनांक 13.01.2022 में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से तहसीलदार के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाये जाने सम्बंधी आदेश में क्रम संख्या 31 पर श्री हरिकिशन शर्मा /ब्रह्मदत्त शर्मा का निधन दिनांक 16.05.2021 को हो जाने से इनका नाम एतदद्वारा तुरंत प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

स्क्रीनिंग कमेटी ने जिन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की विभागीय जांच/दण्ड इत्यादि की सूचना अप्राप्त थी, के सम्बंध में इनकी सूचना प्राप्त करने के उपरांत प्राप्त सूचना में इनके विरुद्ध कोई प्रतिकुल/विपरीत टिप्पणी नहीं होने की शर्त पर इनको कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु उपयुक्त माने जाने की सिफारिश की है। जिला कलक्टर अलवर के पत्र क्रमांक 108 दिनांक 04.01.22 एवं क्रमांक 427 दिनांक 14.1.22 के अनुसार निम्नांकित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच/दण्ड नहीं होने के फलस्वरूप इनको तहसीलदार पद के रिक्त पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयुक्त पाया जाता है:-

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी :-

क्र. सं.	पा.क.	नाम/पिता का नाम	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन जिला
1	33	श्री मुकुट बिहारी शर्मा /सत्यनारायण शर्मा	06-02-1963	ALWAR

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तों के अध्यधीन रहेगा :-

- 1— दिनांक 31.12.21 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के एक बार (One Time) कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं दिया जायेगा और इसके आधार पर कोई भी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी किसी भी भाँति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा/मांग किसी भी न्यायालय/ अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/ विभाग के समक्ष करेगा।
- 2— उक्त स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापित नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुभार नहीं किया जायेगा। ना ही कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा / मांग करेगा।
- 3— स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य में किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।
- 4— उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी मूल रूप से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ही बने रहेंगे तथा नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को प्राप्त वेतन में किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।
- 5— स्क्रीनिंग समिति की उक्त रिपोर्ट/अभिशंसा को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा किया जा सकेगा और नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित निर्णय को किसी भी न्यायालय , अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष छुनौती नहीं देगा।

6- स्कीनिंग समिति की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन का यह आदेश सभी पात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को स्वीकार्य होगा तथा कोई भी पात्र नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी इस आदेश को किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक विभाग / संस्था के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

7- उक्त नायब तहसील दारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वेतन तहसीलदार के रिक्त पद के विरुद्ध इनके स्वयं की वेतन शृंखला (पातेय वेतन) में नियमानुसार इनके एलपीरी के आधार पर आहरित किया जायेगा। इन नायब तहसीलदारों एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हो जाने से नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद को रिक्त माना जायेगा।

8- उक्त नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यदि कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार के पद पर कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय विस्तृत कारण उचित माध्यम सम्बंधित जिला कलेक्टर / कार्यालयाध्यक्ष राजस्व मण्डल में भिजवायेंगे एक बार कार्यग्रहण में असमर्थता जाहिर करने पर पुनः कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9- स्कीनिंग समिति द्वारा राजस्व मण्डल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर स्कीनिंग की गयी है। फिर भी यदि किसी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध स्कीनिंग समिति की बैठक दिनांक 31.12.2021 तक कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण अथवा दण्ड होने की जानकारी विभाग के संज्ञान में आती है, जिससे वह पात्रता की श्रेणी से बाहर हो जाता है तो उसे तुरंत प्रभाव से कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन से हटा कर मूल पद पर पदस्थापित किया जायेगा तथा यदि किसी नायब तहसीलदार एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के सम्बंध में उपलब्ध अभिलेख के आधार गलत / मिथ्या जानकारी के कारण उसे कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार पद पर पदस्थापन हेतु विचारित नहीं किया गया हो, तो उसके संदर्भ में विभागीय तथ्यों से वास्तविक वस्तुरिथि स्पष्ट होने पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत उसकी पात्रता बाबत विचार किया जा सकेगा।

आदेशानुसार,
18/01/2022
(डॉ. मोहन लाल यादव)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

क्रमांक: सम/ 1682-95

दिनांक: 18/01/2022

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 4- संभागीय आयुक्त जयपुर।
- 5- जिला कलेक्टर अलवर।
- 6- प्रभारी अधिकारी (गोपनीय / वि.जांच / प्रशासन / कंपूटर्स) राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 7- सम्बंधित
- 8- आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

[Signature]
(भंवर सिंह सान्दू)
अतिरिक्त निबन्धक (रातस)।
राजस्व मण्डल राज., अजमेर